

उप  
रूपना

२-११-२२ परावली पेश हुयी वकील वादी अनुपास्थित।  
वकील प्रतिवादी उपस्थित। सायं ५-५७ P.M.  
वज्र-चुके वी बार-बार आवाज दिलवायी  
गयी इन्तजार किया। पुनः बार-बार  
आवाज दिलवाने के बावजूद वादी व वकील  
वादी में से कोई उपस्थित नहीं। अतः अदम  
हाजरी। अदम पैरवी में वादी का वाद खारिज  
किया जाता है।

परावली फ़ैसल सुमार देकर नोवंबर  
से कम लगे।

उपखण्ड अधिकारी  
रूपना (अजमेर)

